न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 14/2019

1 नेमाराम पुत्र पुराराम जाति माली निवासी ढ़ाणी मालियान तन तुनवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हणमान पुत्र पुराराम।
2 जवानाराम पुत्र पुराराम।
3 लिखमाराम पुत्र पुराराम।
4 चूनाराम पुत्र भींवाराम।
5 बोदूराम पुत्र भींवाराम।
6 मुकनाराम पुत्र भींवाराम।
7 तोराचन्द दत्तक पुत्र कुरड़ाराम।
8 मूली देवी पत्नी कुरड़ाराम।
9 प्रतापराम पुत्र भागूराम।
10 मदन पुत्र भागूराम।
11 गोपाल पुत्र भागूराम।
12 ओमप्रकाश पुत्र भागूराम।
13 गिरधारी पुत्र भागूराम।
14 शिवभगवान पुत्र सुरजाराम।
15 माली देवी पत्नी सुरजाराम।
16 रतनलाल पुत्र जोरूराम।
17 गुमानाराम पुत्र जोरूराम।
18 सोनी देवी पत्नी जोरूराम।
19 छीतर पुत्र पन्नाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

20 नारायण पुत्र पन्नाराम।
21 मंगली पत्नी पन्नाराम फौत।
22 जुगली देवी पुत्री पदमाराम।
23 पहपा पुत्र पदमाराम।
24 तुलच्छा पुत्र पदमाराम।
25 रामूराम पुत्र पदमाराम।
26 छोटू पुत्र भैरूराम समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी मालियान तन तूनवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
27 हनुमान सिंह पुत्र भानसिंह।
28 श्रवण सिंह पुत्र भानसिंह।
29 राजेन्द्र सिंह पुत्र भानसिंह।
30 रघुवीर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह।
31 नरेन्द्र सिंह पुत्र डूंगरसिंह।
32 जितेन्द्र सिंह पुत्र डूंगरसिंह।
33 दिलीप सिंह पुत्र डूंगरसिंह।
34 उम्मेद कंवर पत्नी डूंगरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण कुमास जागीर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
35 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा काछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
36 पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
37 भूमिधारी तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ सीकर पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा आर.ए.एस. राजस्व वाद संख्या 32/2015,33/2015,38/2015 बउनवानी नेमाराम बनाम हणमान आदि अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2015,33/2015,38/2015 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण के समक्ष बंटवारा एवं उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 32/2015 बउनवानी नेमाराम बनाम हणमान आदि कृषि भूमि खसरा नम्बर 16/19 रकबा 1.76 हैक्टेयर ग्राम कुमास जागीर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के सम्बंध में एंव दूसरा वाद संख्या 33/2015 बउनवानी नेमाराम बनाम हणमान आदि बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसाणार्थ, कृषि भूमि खसरा नम्बर 107/11 रकबा 3.15 हैक्टेयर वाके ग्राम कुमास जागीर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के सम्बंध में तथा तीसरा वाद संख्या 38/2018 बउनवानी नेमाराम बनाम हणमान आदि बंटवारा, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद कृषि भूमि खसरा न म्बर 45/1/1 रकबा 2.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 45/3 रकबा 5.72 हैक्टेयर खसरा नम्बर 75/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.89 हैक्टेयर खसरा नम्बर 44 रकबा 2.49 हैक्टेयर वाके ग्राम रामनगर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के सम्बंध में प्रस्तुत किये थे। अपीलांट वाद संख्या 32/2015 की कृषि भूमि में 1/32 हिस्से का एवं वाद संख्या 38/2015 की कृषि भूमि में 1/32 हिस्से का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज है तथा अपने हिस्सा की भूमि का विभाजन चाहा था एवं दावा संख्या 33/2015 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 107/11 रकबा 3.15 हैक्टेयर ग्राम कुमास जागीर की भूमि संयुक्त कब्जा काश्त की पैत्रिक भूमि होने के कारण उक्त कृषि भूमि में 1/32 हिस्से की खातेदारी चाही थी उक्त तीनो वादपत्रो का विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण चल रहा था इसी दरमियान दिनांक 05.02.2018 को विचारण न्यायालय ने आदेश पारित कर दावा संख्या 32/2015 के साथ ही दावा संख्या 33/2015 एवं दावा संख्या 38/2015 को समेकित कर विचारण प्रारम्भ किया। परन्तु वादपत्रो को समेकित करने के पूर्व से ही दावा संख्या 33/2015 के प्रतिवादी संख्या 13 ने उक्त वादपत्र में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वेग आवेदन प्रस्तुत कर रखा था उक्त आवेदन का जवाब वादी/अपीलांट की ओर से दावा संख्या 33/2015 में प्रस्तुत कर दिया था परन्तु विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.03.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी जाना आदेशिका में अंकित करके पत्रावली को दिनांक 11.03.2019 दिनांक 22.03.2019 को पूर्व आदेशानुसार नियत किया जाकर दिनांक 25.03.2019 को आरबीट्रेरी आदेश पारित कर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज का निर्णय पारित कर दिया है। इससे व्यथित यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन दोनो ही वाद विभाजन से सम्बंधित है। जिनको प्रथमतया आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज नही किया जा सकता। द्वितीयकः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया जावे तो उक्त निर्णय खसरा नम्बर 107/11 रकबा 3.15 हैक्टेयर वाके ग्राम कुमास जागीर के सम्बंध में है फिर भी विचारण न्यायालय ने निर्णय के शीर्षक में राजस्व वाद संख्या 32/2015,33/2015,38/2015 अंकित करके अन्त में अंकित कर दिया– वाद वादी खारिज किये जाते है। विचारण न्यायालय के पीठासीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी ने विधि एवं अपने अधिकारो का दुरूपयोग करके अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर चुनौतीग्रस्त आरबीट्रीरी निर्णय पारित कर दिया इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वाद संख्या 32/2015 एवं वाद संख्या 38/2015 के सम्बंध में विचारण न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार का ना तो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन था ना ही बिना किसी विधिक प्रकिया का अनुसरण किये, उक्त वादपत्रों का सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता था। दावा संख्या 33/2015 के प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन को विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो के प्रकाश में नही देख कर कानूनी भूल की है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को तीनो प्रकरणों मे जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेने के उपरान्त गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार प्रकरणों को समेकित किया है इसके पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 पर उभयपक्ष को सुनकर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 32/2015, 33/2015 व 38/2018 भिन्न–भिन्न कथनो एवं अनुतोष के साथ प्रस्तुत हुये है। तीनो प्रकरणों को एक साथ समेकित किये जाने का कोई विधिक आधार प्रतीत नही होता है। यहां यह भी विचारणीय है कि विभाजन का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित नही माना जा सकता है। विचाराधीन निर्णय में केवल एक वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विवेचित कर विचारण न्यायालय द्वारा तीनो वादो को खारिज कर दिया गया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में आदेश 7 नियम 11 के विधिक प्रावधानों का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसा कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर